Web Copy - Not Official

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)</u>

राजस्व वाद संख्या –176/2018

<u>पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)</u>

सरजू पत्नि सूरजमल जाति गूर्जर निवासी डाबरकंला तहसील देवली जिला टोंक

वादीया

<u>बनाम</u>

1. राज.सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2. श्योजी पुत्र गुटका जाति गूजर
3. गोपाल पुत्र रामकरण जाति गूजर
4. गंगाराम पुत्र बिरदा जाति गूजर
5. गोपी पुत्र बिरदा जाति गूजर
6. रामनिवास पुत्र बिरदा गूजर
7. सणगारी पुत्री बिरदा गूजर
8. हरनाथ पुत्र बिरमा रेगर
9. किशनलाल पुत्र बिरमा रेगर

समस्त निवासीगण धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–22.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खवास में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकडी जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 668 के खसरा नम्बर 105, 125 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हैक्ट.** भूमि वादीया के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी खातेदार है जिनसे सीमा विवाद एवं आराजीयात को काश्त करने को लेकर झगडा फसाद होता रहता है। जिसके कारण उक्त वादपत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट खवास में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीया की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीया का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीया के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीया का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके **ग्राम धून्धरी तहसील केकडी जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 668 के खसरा नम्बर 105, 125 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी